

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक
टिकट) के प्रदान हेतु अनुमत. क्रमांक
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से.
भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/
तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 6 मार्च 2007—फाल्गुन 15, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक 2230/21-अ/प्रारूपण/07.— छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-03-2007 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 2 सन् 2007)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2007

वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम .

भारत गणराज्य के अन्तर्गत वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2007 (क्रमांक 2 सन् 2007) है.
- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिये राज्य की संचित निधि में से 962,80,29,557 रुपयों का दिया जाना. 2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग नौ सौ बांसठ करोड़, अस्सी लाख, उन्तीस हजार, पांच सौ सन्तावन रुपया होता है उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के बाबत वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान दिये जाने होंगे और उपयोजित की जा सकेंगे.
- विनियोग. 3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएगी.

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक (1)	सेवाएं और प्रयोजन (2)	निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित (3)	योग
		रुपये	रुपये	रुपये
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व 2,30,61,200	0	2,30,61,200
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व 66,00,000	0	66,00,000
03	पुलिस	राजस्व 1,08,73,000	0	1,08,73,000
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 45,46,000	0	45,46,000
10	वन	राजस्व 7,13,58,000	4,40,00,000	11,53,58,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 34,13,00,000	0	34,13,00,000
13	कृषि	राजस्व 15,14,200	0	15,14,200
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व 84,18,472	0	84,18,472

(1)	(2)	(3)	रुपये	रुपये	रुपये
16	मछली पालन	राजस्व	6,24,000	0	6,24,000
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय.	पूंजी	5,01,50,00,000	0	5,01,50,00,000
23	जल संसाधन विभाग	राजस्व	3,82,00,000	0	3,82,00,000
		पूंजी	0	23,00,000	23,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	8,80,000	0	8,80,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	4,73,63,000	0	4,73,63,000
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	7,71,985	0	7,71,985
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
38	बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	300	0	300
39	ख़ाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	3,30,65,100	0	3,30,65,100
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	राजस्व	27,87,50,900	0	27,87,50,900
		पूंजी	5,12,76,100	20,95,000	5,33,71,100
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,09,97,000	0	1,09,97,000
59	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	राजस्व	12,00,100	0	12,00,100
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,18,00,80,900	0	1,18,00,80,900
		पूंजी	53,00,00,000	0	53,00,00,000
65	विमानन विभाग	पूंजी	45,00,000	0	45,00,000
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	6,50,00,100	0	6,50,00,100
		पूंजी	29,24,000	0	29,24,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	70,09,100	69,42,000	1,39,51,100
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	100	0	100

(1)	(2)	(3)	रुपये	रुपये	रुपये
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	1,53,49,00,000	0	1,53,49,00,000
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,40,00,000	0	1,40,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	17,84,36,000	0	17,84,36,000
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	4,76,00,000	0	4,76,00,000
82	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	2,24,43,000	0	2,24,43,000
योग - राजस्व			3,96,19,83,257	4,40,00,000	4,00,59,83,257
पूंजी			5,61,07,09,300	1,13,37,000	5,62,20,46,300
वृहद योग			9,57,26,92,557	5,53,37,000	9,62,80,29,557

रायपुर, दिनांक 6 मार्च 2007

क्रमांक 2230/21-अ/प्रारूपण/07.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 1) अधिनियम, 2007 (क्र. 2 सन् 2007) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 2 of 2007)

THE CHHATTISGARH APPROPRIATION (No. 1) ACT, 2007

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh for the services of the Financial Year 2006-2007.

Be it enacted by the Chhattisgarh legislature in the Fifty-Eighth year of the Republic of India as follows :-

- Short title. 1. This Act may be called the Chhattisgarh Appropriation Act, 2007 (No. 2 of 2007).
- Issue of Rs. 962,80,29,557 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2006-2007. 2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Nine Hundred Sixty Two Crore Eighty Lakh Twenty Nine Thousand Five Hundred Fifty Seven rupees towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2006-2007 in respect of services specified in column (2) of the schedule.
- Appropriation. 3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Chhattisgarh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Section 2 and 3)

No. of Vote	Services and Purposes		Sums not exceeding		
			Voted by the Legislative Assembly	Charged on Consolidated Fund	Total
(1)	(2)			(3)	
			Rs.	Rs.	Rs.
01	General Administration	Revenue	2,30,61,200	0	2,30,61,200
02	Other expenditure pertaining to General Administration Department.	Revenue	66,00,000	0	66,00,000
03	Police	Revenue	1,08,73,000	0	1,08,73,000
06	Expenditure pertaining to Finance Department.	Revenue	45,46,000	0	45,46,000
10	Forest	Revenue	7,13,58,000	4,40,00,000	11,53,58,000
12	Expenditure pertaining to Energy Department.	Revenue	34,13,00,000	0	34,13,00,000
13	Agriculture	Revenue	15,14,200	0	15,14,200
14	Expenditure pertaining to Animal Husbandry Department.	Revenue	84,18,472	0	84,18,472

(1)	(2)	(3)	Rs.	Rs.	Rs.
16	Expenditure pertaining to Fisheries Department.	Revenue	6,24,000	0	6,24,000
21	Expenditure pertaining to Housing and Environment Department.	Capital	5,01,50,00,000	0	5,01,50,00,000
23	Water Resources Department	Revenue	3,82,00,000	0	3,82,00,000
		Capital	0	23,00,000	23,00,000
26	Expenditure pertaining to Culture Department.	Revenue	8,80,000	0	8,80,000
27	School Education	Revenue	4,73,63,000	0	4,73,63,000
29	Administration of Justice and Elections.	Revenue	7,71,985	0	7,71,985
32	Expenditure pertaining to Public Relations Department.	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
38	Grant from centre on the basis of Twelfth Finance Commission Recommendation.	Revenue	300	0	300
39	Expenditure pertaining to Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department.	Revenue	3,30,65,100	0	3,30,65,100
41	Tribal Areas Sub-plan	Revenue	27,87,50,900	0	27,87,50,900
		Capital	5,12,76,100	20,95,000	5,33,71,100
55	Expenditure pertaining to Women and Child Welfare.	Revenue	1,09,97,000	0	1,09,97,000
59	Externally aided Projects pertaining to Panchayat and Rural Development Department.	Revenue	12,00,100	0	12,00,100
64	Special Component Sub Plan	Revenue	1,18,00,80,900	0	1,18,00,80,900
		Capital	53,00,00,000	0	53,00,00,000
65	Aviation Department	Capital	45,00,000	0	45,00,000
66	Welfare of Backward Classes	Revenue	6,50,00,100	0	6,50,00,100
		Capital	29,24,000	0	29,24,000
67	Public Works-Buildings	Capital	70,09,100	69,42,000	1,39,51,100
68	Public works relating to Tribal Areas Sub-Plan-Buildings.	Capital	100	0	100

(1)	(2)		(3)	(4)
			Rs.	Rs.
69	Expenditure pertaining to Urban Administration and Development Department-Urban Welfare.	Revenue	1,53,49,00,000	0
79	Expenditure pertaining to Medical Education Department.	Revenue	1,40,00,000	0
80	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions.	Revenue	17,84,36,000	0
81	Financial assistance to Urban bodies.	Revenue	4,76,00,000	0
82	Financial assistance to Three tier Panchayati Raj Institutions under the tribal area sub-plan.	Revenue	2,24,43,000	0
Total Revenue			3,96,19,83,257	4,40,00,000
Capital			5,61,07,09,300	1,13,37,000
Grand Total			9,57,26,92,557	5,53,37,000

